संख्याः 44/2022/001/1495/23-12-2022-2(इण्डो-नेपाल)/2011टी0सी0-3

प्रेषकः

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022**

विषय-इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद महराजगंज में खैराघाट-झुलनीपुर तथा झुलनीपुर से पतलॉवा मार्ग का भाग के चालू कार्य के मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1604/सीई-एचक्यू1/आईएनबी/इण्डो/2022-23, दिनांक 21.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना के अन्तर्गत जनपद महराजगंज में खैराघाट-झुलनीपुर तथा झुलनीपुर से पतलॉवा मार्ग का भाग के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 102.01 लाख (रूपये एक करोड़ दो लाख एक हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	उ0प्र0 शासन का पत्रांक	संशोधित स्वीकृति लागत	01.04.22 को अवशेष धनराशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूर्व में आवंटन	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मांग (+)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कुल अनुदान (प्रस्तावित सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि0ख0-1 (इण्डो-नेपाल बार्डर) लो0नि0वि0, महराजगंज	खैराघाट-झुलनीपुर तथा झुलनीपुर से पतलॉवा मार्ग का भाग	1024/23-12-13-02(इ0ने0बा0)/11, दि0 09.07.2013 एवं 54/23-12-2020-02(इ0ने0बा0)/11टीसी, दि0 21.09.2020	26648.000	17960.788	104.000	(+) 102.01	206.01
			योग	26648.000	17960.788	104.000	(+) 102.01	**206.01**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) सेंटेज चार्ज/ अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही भुगतान/ जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(11) भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर कार्यदायी संस्था द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

(12) उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशो में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) उक्त कार्यों पर मार्ग निर्माण पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा एवं भूमि अध्याप्ति तथा पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग अनापत्ति प्राप्त करने के क्रम में किये जाने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,02,01,000 (मात्र एक करोड दो लाख एक हजार) को चालू वित्तीय वर्ष 2022 -23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 58-के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-04-337-0101-इण्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु व्यवस्था (के.100/रा0-के.) मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव

<u>सं0-44/2022/001/1495(1)/23-12-2022 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
13- लोक निर्माण अनु0-10, उ0प्र0 शासन।
14- डाटा सेल, विकास भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in